न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 111/2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
01-अंसारी एसोसियेटस पता –598,10 वी बी रोड सरदारपुरा जोधपुर जरिये भागीदार तयब अंसारी पुत्र स्व0 श्री मुमताज अली जाति मुसलमान निवासी सी–204/ए कमला नेहरू नगर प्रथम जोधपुर। 02.तयब अंसारी पुत्र स्व0 श्री मुमताज अली जाति मुसलमान निवासी सी–204/ए कमला नेहरू नगर प्रथम जोधपुर। 03.तौसिफ अंसारी पुत्र श्री रजब अली जाति मुसलमान निवासी सेक्टर –जे प्रताप नगर जोधपुर।		01.. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी ।

प्रार्थना पत्र बाबत रेकर्ड दुरूस्ती अर्न्तगत धारा 136 भु–राजस्व अधिनियम ।

उपस्थिति –

1. प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवड़ा ।
2. अप्रार्थी की और से राजकीय पैरोकार।

आदेश

दिनांक :– 6/1/2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण की जरिये अलग अलग बैचाननामे के खरीदसुदा कब्जासुदा कृषि भूमि ग्राम शिकारपुरा के मुल खसरा संख्या 667 कुल रकबा 666बीधा 06 बिस्वा मे आयी हुई स्थिति है। प्रार्थी सख्या एक नें उक्त भूमि के 1/16 हिस्से के सहखातेदार श्रीमती संतोष माछर पत्नि श्री रमेशचन्द्र जी माछर जाति माहेश्वरी निवासी 3,रामबाडी जालोरी गेट जोधपुर मे रहने वाली से खरीद की जिसका बेचानानामा दिनांक 10.05.2013 को पंजीबद्वसुदा है एंव इसी प्रकार से प्रार्थी संख्या दो व तीन ने भी उक्त भूमि के 1/6हिस्से के खातेदार अमना पुत्र श्री भीका जाति राईका निवासी ग्राम शिकरपुरा तहसील लूणी जिला जोधपुर मे रहने वाले से खरीद की जिसका बेचानानामा दिनांक 16.04.2010 को प्रार्थी संख्या दो व तीन के पक्ष मे पंजीबद्वसुदा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

बिस्वा मे 1/16 हिस्सा है एवं इसी प्रकार से प्रार्थी संख्या दो व तीन का भी संयुक्त रूप से 1/16 हिस्सा है । उपरोक्त बेचाननामो के आधार पर प्रार्थी संख्या एक से तीन का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया जो निरन्तर सम्वत् 2071 तक की जमाबंदियों में चलता रहा। सम्वत् 2068–71 में भी प्रार्थी संख्या एक से तीन का नाम बेचाननामा अनुसार दर्ज है। उक्त खसरा संख्या 667 कुल रकबा 666 बीघा 06 बिस्वा में प्रार्थी संख्या एक का जो 1/16 हिस्सा हैं तथा इसी प्रकार से अप्रार्थी संख्या दो व तीन का भी 1/16 हिस्सा हैं वह प्रार्थी संख्या एक से तीन का संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा बनता हैं उसका रकबा 83 बीघा 06 बिस्वा 17 बिस्वासी बनता है। प्रार्थीगण व अन्य सहखातेदारों के मध्य बंटवाड़ा हो जाने से प्रार्थीगण के नाम से खसरा संख्या 667/25 रकबा 83 बीघा 06 बिस्वा 17 बिस्वासी दर्ज किया गया। उनके पश्चात अगले चौसाले की नयी जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 की तैयार करते समय प्रार्थी संख्या एक का नाम जमाबन्दी से विलुप्त ही कर दिया गया एवं केवल मात्र प्रार्थी संख्या दो से तीन के नाम ही खसरा संख्या 667/25 रकबा 83 बीघा 06 बिस्वा 17 बिस्वांसी दर्ज कर दिया गया जबकि खसरा संख्या 667/25 रकबा 83 बीघा 06 बिस्वा 17 बिस्वांसी में प्रार्थीगण संख्या एक से तीन का नाम दर्ज किया जाना चाहिये था। उक्त लिपिकिय त्रुटि हैं जिससे राजस्व रेकर्ड के अन्द्राज दुषित हेए हैं जिसे सुधारा जाना आवश्यक है इसलिये यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से संयुक्त पेश किया जा रहा है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये तथा जवाब तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब शामिल मिसल किया गया।

बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज बेचाननामा जो कि अमना पुत्र श्री भीका द्वारा दिनांक 16.04.2010 को अप्रार्थी संख्या दो व तीन के पक्ष में किया गया है जो कि 1/16 हिस्से का हैं तथा इसी प्रकार से एक बेचाननामा जो कि संतोष माछर पत्नी श्री रमेशचन्द्र माछर द्वारा प्रार्थी संख्या एक के पक्ष में दिनांक 10.05.2013 को किया गया हैं। उक्त बेचाननामा के आधार पर प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये गये जो कि जमाबंदी सम्वत् 2068–71 से स्पष्ट है जिसमें बेचाननामा अनुसार इन्द्राज किये गये है। तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट कमांक भू0अ0/2020/4174 दिनांक 23.01.2020 के अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरों में इस न्यायालय के राजस्व वाद संख्या 09/2016 के अन्तर्गत धारा 53 RTA 1955 के द्वारा बंटवाड़ा डिकी अनुसार

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

दुरूस्ती किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतःइस न्यायालय के राजस्व वाद संख्या 9/2016 अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेंन्सी एक्ट 1955 के द्वारा बंटवाडा अनुसार नामान्तरकरण संख्या 872 स्वीकृत दिनांक 12.04.2016 के तहत अमलदरामद किया गया। अतःप्रकरण अन्तर्गत धारा 136 भू0राजस्व अधिनियम के तहत न होकर बंटवाडा डिक्री की अपील के द्वारा संशोधित किया जाना उचित समझते है । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज योग्य होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(गोपाल परिहार आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी